

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-51/2014- 4497 /क०, पटना, दिनांक 09 सितम्बर, 2015.
प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स फ्रंटियर एगोटेक प्रा० लि०,
खेसरा नं०-1319, खाता नं०-361,
मौजा-पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना-800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 134 दिनांक 25.02.2015 वैधता तिथि 31.12.2015 में इन्डोसमेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुरांगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या-134 दिनांक 25.02.2015 वैधता तिथि 31.12.2015 एवं प्रिसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए इन्डोसमेन्ट किया जाता है।

| क्र०सं० | कम्पनी का नाम | कीटनाशी का नाम |
|---------|---|-------------------------------|
| 1 | मेसर्स ई० आई० ड्युपोन्ट इण्डिया प्रा० लि० | Copper Hydroxide 53.8% W/W DF |

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स फ्रंटियर एगोटेक प्रा० लि०, खेसरा नं०-1319, खाता नं०-361, मौजा-पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना-800007

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइन्मेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4497

/क०, पटना, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।